कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 84/17-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
28-10-17	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा ओच्या थाना रनिया खाता सं0 204 प्लॉट सं0 2992 रकबा 0.70 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत [illegible] पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 13-11-17 को उपस्थापित करें। [signature] 28/10/17 अंचल अधिकारी तोरपा लेखापित एवं संशोधित अभिलेख उपस्थापित रा.उपनि./अं0नि. ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वर्णित भूमि रैयती खाते की है। अतः संदिग्ध जमाबंदी की कार्रवाई समाप्त की जाती है। [signature] 28-9-21 अं0अ0 तोरपा	

खाता खसरा
218 - 2992 - रैयती गलगम पुर

रकबा

अं० अ० तीरपा
खसरा संख्या 2992 रैयती खाता सं० 218 से सम्बंधित है
अतः LPC बन सकता नहीं बनता है

R.S.I

अग्रसारित
अधिकृत गमावली कोर्ट ख० 2992 रैयती
खाता से संबंधित है।
अतः LH की कार्रवाई समाप्त की
जा सकती है।

CI

28.9.21

Digitally signed by Sachidanand Kumar Verma
Date: 2021.09.29 15:13:10 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cc3:3a72:62dc:f321